महत्वपूर्ण एवं खास

चौकी जूटमिल स्टाफ ने सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर चलाया अभियान

» तीन सट्टा-पट्टी लिखने वालों से 6,400 रूपये व सट्टा-पट्टी जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा के नेतृत्व में दिनांक 12.02.2020 को पुलिस चौकी जूटमिल के विवेचकगण द्वारा अभियान चलाकर क्षेत्र में सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर कार्यवही किया गया है। इस दौरान मुखबिर सूचना पर (1) हीरानगर मिट्ठुमुडा जुटमिल रायगढ में ननकू दास महंत पिता भगत दास महंत उम्र 20 वर्ष सा. हिरानगर वार्ड क्रं. 36 मिटठुमुडा जुटमिल चौकी जुटमिल को (2) कैदीमुडा चौक पर संजय चौहान गनपत चौहान, कैदीमुडा जुटमिल को तथा (3) हीरानगर में अजय महत पिता बजरंग महंत उम्र 21 वर्ष र. हिरानगर वार्ड क 36 मिटटुमुड़ा जुटमिलको सट्टा-पट्टी लिखते पकड़ा गया। आरोपियों से जुमला 6,400 रूपये एवं विभिन्न सट्टा पट्टी नम्बर की पर्ची जप्त की गई है। आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवली, चौकी जुटमिल में धारा 4(क) सार्वजनिक द्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

राज्यपाल 14 से 17 फरवरी तक नागपुर और छिंदवाड़ा के प्रवास पर

रायपुर। राज्यपाल अनुसुईया उइके 14 फरवरी से 17 फरवरी तक नागपुर और छिन्दवाड़ा प्रवास पर रहेंगी। सुश्री उइके 14 फरवरी को अपरान्ह 3:00 बजे पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगी और शाम 4:00 बजे नागपुर पहुंचेंगी। वहां शाम 5 बजे सीनियर भोंसले पैलेस में आयोजित 'राजरत्न अवार्ड-2020' कार्यक्रम में शामिल होंगी। सुश्री उइके नागपुर से रात्रि 7:00 बजे प्रस्थान कर रात्रि 9:00 बजे छिन्दवाड़ा पहुंचेंगी। राज्यपाल छिंदवाड़ा में 15 फरवरी को दोपहर 12:00 बजे राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। वे 16 फरवरी को अपरान्ह 3:00 बजे छिंदवाड़ा जिले के चौरई में आयोजित सर्व आदिवासी जन जागृति महा सम्मेलन में शामिल होंगी। सुश्री उइके 17 फरवरी को पूर्वान्ह 11:00 बजे एडिफाई स्कूल लहगडुआ के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद अपरान्ह 2:00 बजे बालक छात्रावास मैदान तामिया में आयोजित महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी।

पोषण पुनर्वास केन्द्र -बिनेश को मिली कुपोषण से मुक्ति

रायपुर। मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन अभियान योजना के तहत दुर्ग जिले के पाटन पोषण पुनर्वास केन्द्र में कुपोषित बच्चों को उपचार और पौष्टिक आहार देकर सुपोषित किया जा रहा है। हाल में ही इस केन्द्र में कुपोषित मास्टर बिनेश को इलाज के लिए भर्ती किया गया था। देखभाल और उपचार से अब वह पूरी तह से स्वस्थ हो गया है। कुपोषण से बाहर निकलकर अब वह सामान्य बच्चों की तरह खेलकूद रहा है। उसे हंसते-मुस्कुराते देखकर मां-बाप एवं परिवार के लोग प्रसन्न है।

तेन्दूपत्ता संग्रहण की तैयारी: वन मंत्री श्री अकबर ने सभी आवश्यक व्यवस्था के दिए निर्देश : शाख कर्तन का कार्य तेजी से जारी

रायपुर। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में वन विभाग द्वारा राज्य में चालू वर्ष 2020 में तेन्दूपत्ता संग्रहण की तैयारी के तहत शाख कर्तन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वन मंत्री श्री अकबर ने विभागीय अधिकारियों को तेन्दूपत्ता संग्रहण के सीजन में अच्छी गुणवत्ता का अधिक से अधिक तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में तेन्दूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक वर्ष 2018 में दो हजार 500 रूपये प्रति मानक बोरा था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में बढ़ाकर चार हजार रूपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

» पुलिस, परिवहन व यातायात विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हुए शामिल » कोटपा एक्ट 2003 के धाराओं की विस्तार से दी गई जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पुलिस विभाग, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया। जिसमें तम्बाकू, सिगरेट एवं गुटखा जैसे मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य को होने वाले हानिकारक प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया तथा कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं एवं नियमों से अवगत कराते हुये उनके उल्लंघन करने पर दंडनीय प्रावधानों व चालानी कार्यवाही की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दिया गया।

तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य मादक पदार्थों के (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, परदे और वितरण विनिमयन) अधिनियम 2003 का अधिनियम 34 कानून को लागू करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है एवं तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध संबंधी समस्त नियमों एवं कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थानों,भवनों स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों को तम्बाकू रहित क्षेत्र बनाने एवं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों (तम्बाकू,गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा इत्यादि) के सेवन करने पर कोटपा एक्ट के धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत उनके ऊपर कानूनी एवं चालानी कार्यवाही कर नगद अधिकतम 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है एवं सार्वजनिक स्थानों, भवनों, स्कूलो, अस्पतालों के हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सार्वजनिक स्थान पर यह धूम्रपान रहित क्षेत्र है, यहां धूम्रपान करना एक अपराध है' का बोर्ड लगा होना चाहिये तथा बोर्ड के निचले भाग में जिसके समक्ष उल्लंघन की शिकायत की जानी हैं, उस प्रभारी अथवा मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। कोटपा एक्ट 2003 में धारा 5 के तहत तम्बाकू पदार्थो के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनो पर पूर्ण प्रतिबंध हैं, तम्बाकू पदार्थो को बेचने वाले दुकानों पर तम्बाकू से कैंसर होता है' का बोर्ड लगा होना चाहिए, उस बोर्ड पर तम्बाकू पदार्थो की सूची जिनसे कैंसर होता हैं, जैसे कि बीडी, सिगरेट गुटखा, खैनी इत्यादि का नाम लिखा होना चाहिए। टेलीविजन एवं फिल्मों मे बिना चेतावनी दिये तम्बाकू के दृश्यों को दिखाया जाना अपराध है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

धारा 6 के तहत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थो को बेचना अपराध है तथा इस आशय का बोर्ड बिक्री के स्थान पर इसका बोर्ड लगााना अनिवार्य है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है एवं शिक्षण संस्थान के प्रभारी को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का बोर्ड लगाया जाना है। उक्त सभी नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 6 के तहत 200 रूपये का जुर्माना किया जा सकता हैं। धारा 7 के तहत बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है तथा प्रत्येक पैकेट के 40 प्रतिशत भाग पर चेतावनी छपी होनी आवश्यक है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान राज्य कानूनी सलाहकार सुश्री ख्याति जैन, जिला नोडल अधिकारी डॉ.टी.के.टोण्डर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती भावना महलवार तथा कार्यक्रम प्रभारी सुश्री सीमा बरेठ उपस्थित रहे।

मंत्री भगत शामिल हुए शिलान्यास समारोह में

रायपुर। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत आज कुरूद विकासखण्ड के ग्राम कोकड़ी में सम्यक् दर्शन सहकार संघ के तत्वाधान में आयोजित शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। भगत ने कार्यक्रम में हाथकरघा, हस्तशिल्प, अम्बर चरखा भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर भगत ने गांव वासियों को को हस्त निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन से जोड़कर उन्हें रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने का आव्हान किया। समारोह स्थल पर हाथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों एवं स्वदेशी उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस अवसर पर विधायक अजय चन्द्राकर, बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

भारतीय-अमेरिकी उद्यमियों ने छत्तीसगढ़ निवेश के लिए दिखाई उत्सुकता

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेन फ्रांसिस्को में निवेशकों के सवालों के दिये जवाब

» प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और बेहतर अवसरों की जानकारी दी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका प्रवास के दूसरे दिन सेन फ्रांसिस्को के इंडिया कम्युनिटी सेंटर, सेनजोस में टाई (द इंडयूस आन्ट्रप्रनर) सिलिकॉन वैली द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ चर्चा की। यहाँ भारतीय-अमेरिकी निवेशकों ने मुख्यमंत्री बघेल से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

बघेल ने यहाँ लगभग 250 निवेशकों को संबोधित करते हुये प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अवसरों की जानकारी देते हुये उन्हें आमंत्रित किया। इन दौरान उन्होंने चाना (छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका) के सदस्यों से भी मुलाकात की। इंडिया कम्युनिटी सेंटर में चर्चा के दौरान श्री बघेल ने प्रदेश की विनिर्माण इकाइयों और उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ को ÷ईज ऑफ डूइंग बिजनेस÷ के लिए भारत में शीर्ष राज्यों में स्थान दिया गया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ निवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यह केंद्र में स्थित है और यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए काफी अनुकूल है।

» गांव म लाये खुशहाली शासन की बाड़ी योजना के तहत बंजर धरती में लगी टमाटर की फसल

किसान मन के हरियर अउ सुघ्घर बाड़ी

» नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर समृद्ध बने कृषक मोतीलाल चौधरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। जब बंजर धरती में पौधे टमाटर से लद गए तब किसान मोतीलाल चौधरी अपनी सुघ्घर बाड़ी से बने खुशहाल। रायगढ़ के ग्राम गढ़उमरिया के आनंदडीपा के निवासी दो भाई मोतीलाल चौधरी एवं राजा चौधरी ने नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए 4 एकड़ जमीन पर उन्नत तरीके से टमाटर की नामधारी 592 हाईब्रिड किस्म लगाया, जिससे उन्हें लगभग 16 लाख की आय हुई।

किसान मोतीलाल चौधरी ने बताया कि पहले तो यह जमीन बंजर थी, लेकिन शासन की बाड़ी योजना से जब यहां आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हुए टमाटर उत्पादन किया तो बहुत अच्छी फसल लगी। किसान चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बाड़ी योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे है और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है।

किसान मोतीलाल चौधरी ने बताया कि उन्होंने टमाटर उत्पादन के लिए मल्चिंग पद्धति का उपयोग किया, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। इस पद्धति से फसल लगाने में खरपतवार नहीं आता, वहीं सिंचाई के पानी से लम्बे दिनों तक मिट्टी में नमी बनी रहती है। इसके साथ ही खाद का असर ज्यादा दिनों तक रहने से फसल में कीट-प्रकोप कम होते है। उन्होंने बताया कि कतार में टमाटर के पौधों को लगाकर बांस से स्टेकिंग किया गया। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक एस.के.पटेल ने बताया कि बोर में हेड यूनिट लगाकर पूरे प्लांट में मेन पाईप से ड्रिप एवं वेन्चुरी के माध्यम से खाद एवं दवाई की सप्लाई करते हैं।

ड्रिप सिंचाई उन्नत तरीके से फसल उत्पादन का अच्छा माध्यम है। मल्चिंग एवं ड्रिप पद्धति से टमाटर के बम्पर फसल उत्पादन को देखकर अन्य किसान भी बाड़ी योजना के तहत सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

तेज रफ्तार ट्रेक्टर ने मारी ठोकर युवक की मौत जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। लालाराम बरिहा पिता रोघा बरिहा उम्र 60 वर्ष अपने नाती लक्ष्मीकांत बरिहा उम्र 04 वर्ष को मोटर सायकल से ग्राम गाताडीह दिनांक 11.02.2020 को सुबह स्कूल छोडने गया था वापस आते समय लगभग 08:00 बजे सुबह ग्राम चंदेली के भड़ीसार रोड धोबी बरिहा के खेत के पास पहुँचा था कि सामने तरफ से आयसर ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 06 ई 2251 के चालक दिनबन्धु रात्रे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लालाराम बरिहा को ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट किया जिसके सिर , सीना, पैर में गंभीर चोट आया था जिसे सीएचसी सारंगढ मे प्रारंभिक ईलाज ईलाज बाद रायगढ ले जाते समय ग्राम कठली के पास निधन हो गया। घटना के संबंध में थाना सारंगढ़ में ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध अप.क्र. 71/2020 धारा 279,304 अ भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

15 फरवरी को रामलीला मैदान में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर

» प्रातः10.30 से 4 बजे तक चलेगा शिविर

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनान्तर्गत 15 फरवरी को विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन वार्ड क्रमांक 14 रामलीला मैदान में प्रातः10.30 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, जनरल मेडिसीन तथा सर्जन सहित फिजियोथेरेपिस्ट व नेत्र विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे।

रायगढ़ जिले के 9 जनपद पंचायतों के लिए चुने गए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले के 9 जनपद पंचायतों में 13 फरवरी को जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। जिसमें जनपद पंचायत रायगढ़ के अध्यक्ष-श्रीमती भूमिसूता विनोद चौहान तथा उपाध्यक्ष-श्रीमती चंचला पारस साव निर्वाचित हुई।

जनपद पंचायत पुसौर में अध्यक्ष- सुशील भोय तथा उपाध्यक्ष-सुश्री गोपी चौधरी चुने गये। जनपद पंचायत सारंगढ़ में अध्यक्ष-सुश्री मंजू मालाकार तथा उपाध्यक्ष- गनपत जांगड़े निर्वाचित हुए। जनपद पंचायत बरमकेला में अध्यक्ष-श्रीमती तारा अरूण शर्मा तथा उपाध्यक्ष-श्री किशोर कुमार पटेल चुने गये। जनपद पंचायत खरसिया में अध्यक्ष-श्री महेत्तर राम उरांव व उपाध्यक्ष-श्री कृष्ण कुमार कन्हैया पटेल निर्वाचित हुए। जनपद पंचायत घरघोड़ा में अध्यक्ष-सुश्री सहोद्रा राठिया तथा उपाध्यक्ष-श्रीमती ममता अशोक पंडा चुने गये। जनपद पंचायत तमनार में अध्यक्ष-श्रीमती सविता कमल सिंह राठिया तथा उपाध्यक्ष-श्री बुढ़ा गौटिया गुप्ता निर्वाचित हुए। जनपद पंचायत लैलूंगा में अध्यक्ष-सुश्री किरण पैंकरा तथा उपाध्यक्ष-श्री लखन लाल सारथी चुने गये। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में अध्यक्ष-श्री पुनीत कुमार राठिया व उपाध्यक्ष-श्री रमेश अग्रवाल निर्वाचित हुए।

प्रेम संबंधों को लेकर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या

» दोनों आरोपी गिरफ्तार, धरमजयगढ़ थाना अन्तर्गत घटित घटना » लैलूंगा थाना में मर्ग पर से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ अन्तर्गत बायसी लाखपतरा में रहने वाली महिला अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति के सिर में चोट पहुंचाकर हत्या करने की घटना प्रकाश में आया है। धरमयगढ़ पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 12/02/20 के सुबह थाना धरमजयगढ में सूचनाकर्ता विदेश्वर राठिया पिता सेतू राम राठिया उम्र 23 वर्ष निवासी बायसी लाखपतरा थाना धरमजयगढ द्वारा अपने बड़े भाई विशेश्वर राठिया पिता सेधुराम राठिया उम्र 32 वर्ष के आकस्मिक मृत्यु के संबंध में सूचना दिया गया। सूचनाकर्ता ने बताया कि लोग पांच भाई, दो बहन है, सबसे बडा मृतक है बडा भाई मृतक अपने पुराना घर में रहता था और बाकी भाई के साथ अपने पिता के पास रहते है। इन सब का खाना पीना एक एक जगह होता है। दिनांक 11/02/20 को खाना खाकर लगभग रात 9 बजे सभी सो गये थे बडा भाई (मृतक) अपने पत्नि बच्चों के साथ पुराना घर में सोने चला गया था। इनके घर इनके मौसी का लडका टीकाराम राठिया जो ग्राम गेरसा से शादी निमत्रंण देने मेहमानी में आया था। वह भी मृतक के घर सोने चला गया कि रात के करीब रात्रि 2.30 बजे मृतक की पत्नी सहोदरा राठिया इनने घर आकर बताई कि मृतक के सिर में चोट लगा है वह बाहर से घुमकर आया है। सभी आहत को सीएचसी धरमजयगढ लेकर गये जहां डॉक्टर ने उसे मृत बताया। मृतक के सिर में चोट लगने कारण फौत होना पाये जाने पर मर्ग तथा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 20/2020 धारा 302 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दरम्यान थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा मृतक के वारिशानों एवं आसपडोस के लोगों से पूछताछ किया गया। संदेह मृतक के घर रात में रूके संदेही टीकाराम राठिया जो मृतक का ममेरा भाई के ऊपर गया। संदेही से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसका प्रेम संबंध मृतक की पत्नी के साथ कुछ सालों से चल रहा है जिसकी भनक मृतक को लग गई थी जिस पर संदेही टीकाराम राठिया और मृतक के बीच कहासुनी हुई और संदेही टीकाराम राठिया एवं मृतक की पत्नी के द्वारा उसको रास्ते से हटाने के उद्देश्य से रात में मृतक के घर में सिर में वार कर दिए जिससे वह बेहोश हो गया और घरवालों को झूठी कहानी बनाये कि मृतक बाहर गया था जिसे चोट लगी है। आरोपी एवं आरोपिया व मृतक के परिजन बेहोशी हालत में आहत को अस्पताल पहुंचाये। मृतक के पत्नी पुलिस को लगातार गुमराह कर रही थी। दोनों आरोपियों के कबूलनामे एवं उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपी (1) टीकाराम राठिया पिता सुंदर सिंह राठिया उम्र 22 साल निवासी गेरसा थाना धर्मजयगढ़ (2) सहोदरा राठिया पति विशेश्वर राठिया उम्र 30 वर्ष निवासी बायसी लाखपतरा थाना धर्मजयगढ़ को उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

थाना लैलूंगा के मर्ग क्र0 10/2020 धारा 174 जा0फौ0 का मृतक लाल साय नागवंशी पिता दुखुराम नागवंशी उम्र 40 साल निवासी किलकिला थाना लैलूंगा जिला रायगढ (छ0ग0) हाल मुकाम धंधरीगुडी उडीसा के आकस्मिक मृत्यु के संबंध में उसके बड़े भाई मंगतू राम नागवंशी उम्र 60 वर्ष निवासी किलकिला गौटिया बस्ती थाना लैलूंगा द्वारा दिनांक 08.02.2020 को मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया गया कि इसका भतीजा मृतक का लड़का दिनांक 08/02/2020 के सुबह घर आकर बताया कि मृतक दिनांक 06.02.2020 को सुबह करीब 10-11 बजे घर से किलकिला बाजार आया था और घर वापस नहीं गया है। इधर उधर पता लगाओ। उसी दिन गांव का एक व्यक्ति आकर बताया कि हाडीपानी के जगेश्वर कवंर के खेत के पास लाल साय नागवंशी मरा पडा है तब जाकर देखे लाल साय नागवंशी मरा पडा था। मर्ग जांच पी.एम. रिपोर्ट पर मृतक लाल साय की मृत्यु के सिर में हार्ड एवं ब्लंट आबजेक्ट से बल पूर्वक मारने से आई हेड इंजूरी के कारण मृत्यु होना एवं मृत्यु की प्रकृति होमोसाइडल होना लेख होने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 20/2020 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना के संबंध में लैलूंगा पुलिस द्वारा मृतक के वारिसान ओं एवं गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर पर होगी बात

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 8वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 8 मार्च को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार महिलाओं को बराबरी के अवसर विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम.रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह 10.30 से 10.55 बजे तक होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के हर वर्ग की भावनाओं और सुझावों से अवगत होने तथा अपने विचार साझा करने के लिए लोकवाणी रेडियोवार्ता प्रारंभ की है। लोकवाणी में इस बार का विषय महिलाओं को बराबरी के अवसर रखा गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480